भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1671
मंगलवार, 12 मार्च, 2013

ऑटोमोबाइल क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए प्रोत्साहन पैकेज

1671. श्री नंद कुमार साय:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऑटोमोबाइल क्षेत्र को प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऑटोमोबाइल क्षेत्र के पुनरूद्धार हेतु भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी (एसआईएएम) समेत विभिन्न हितार्थियों की ओर से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ड.) क्या मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के समक्ष इस मामले को उठाया है; और

(च) यदि हां, तो वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रफुल पटेल)

(क): जी, नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (च): सरकार भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी (एसआईएएम) सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके ऑटोमोबाइल क्षेत्र के व्यापक और सतत विकास के लिए उपाय करती है। इस संबंध में, उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तारपूर्वक परामर्श करने के पश्चात सरकार द्वारा **ऑटो मिशन योजना 2006-16** तैयार की गई है। यह मिशन योजना इस क्षेत्र के लिए सरकारी नीति की आधारशिला है । इसके अतिरिक्त, देश में इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई अन्य क्षेत्रों में पहल की गई है; जैसे कि **ऑटो सेक्टर दक्षता विकास परिषद (एएसडीसी)** की स्थापना करना; ऑटोमोटिव उपकर वित्तपोषण के माध्यम से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता देना, आधिकारिक रूप से प्रमाणन तथा परीक्षण के लिए विश्वस्तरीय अवसरंचना की स्थापना हेतु 2288 करोड़ रूपए से एक परियोजना अर्थात **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव अनुसंधान और विकास अवसरंचना परियोजना (नैट्रिप)** आरंभ करना, ऑटो अनुसंधान और विकास विशेषज्ञता के भंडार तथा सहयोगपूर्ण अनुसंधान और विकास की आवश्यकता को पूरा करने और नैट्रिप केन्द्रों के कार्यकलापों को समन्वित करने के लिए शीर्ष समन्वयकारी निकाय के रूप में **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी)** की स्थापना करना; नई अनुमोदित **नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020** के माध्यम से पर्यावरण पर ईंधन उत्सर्जन के प्रभाव को कम करते हुए भावी ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करना । विभाग उपर्युक्त सभी कदमों के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करता है और नीति निरुपण और कार्यान्वयन पर प्रत्येक वर्ष बजट में निधियों के पर्याप्त आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय और योजना आयोग सहित संबंधित हितधारकों को सुझाव देता है ।

*****